[2019] 6 एस. सी. आर. 819

हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

दलजीत सिंह और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 4265)

अप्रैल 24,2019

[आर. भानुमति और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। बारहवीं, आर. 6-प्रवेश पर निर्णय-उत्तरदाता-वादी का मामला कि अपीलार्थी नं. 2

प्रतिवादी ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी 'टी' के चल रहे व्यवसाय के संबंध में सूट संपत्ति और फ्रेंचाइजी अधिकारों की बिक्री के लिए उनसे संपर्क किया-उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता कंपनी

सूट अनुसूची संपत्ति की बिक्री और कुल रुपये के लिए व्यवसाय चलाने के लिए समझौता किया। 55.50 करोड़-आगे यह आरोप लगाया जाता है कि उत्तरदाताओं ने रुपये की राशि का भुगतान किया था। 5 करोड़ अर्थात रु। 2 चेक द्वारा एक करोड़ और रु। 3 अपीलार्थियों को नकद द्वारा करोड़ रुपये-पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-प्रत्यर्थियों ने बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया-अपीलार्थी प्रतिवादियों ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए कहा कि प्रत्यर्थियों ने जाली/मनगढ़ंत, बेचने का समझौता किया था-राहत का विरोध करते हुए, अपीलार्थी स्वीकार करते हैं कि हालांकि भूमि की बिक्री के लिए प्रत्यर्थियों के साथ एक समझौता किया गया था, लेकिन उक्त अनुबंध को कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि प्रकृति, विस्तार और विभिन्न खंडों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था-अपीलार्थी ने रुपये की प्राप्ति पर भी विवाद किया। 3 करोड़, जो कथित तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा नकद के रूप में भुगतान किया गया था

प्रत्यर्थी ने आवेदन यू/Or.XII दाखिल किया, आर. 6-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आवेदन यू/Or.XII को खारिज कर दिया, आर. 6-तथापि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया और आवेदन को अनुमति दी-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः केवल व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने की स्वीकृति को इस उद्देश्य के लिए एक स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश नहीं कहा जा सकता है -

यू/Or.XII द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देकर निर्णय देना, आर. 6 ऐसे प्रवेशों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आवेदन के निपटारे के लिए गलती से स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश के रूप में माना गया था। बारहवीं, आर. 6-इसके अलावा, 01.11.2006 और आवेदन यू/Or.XII पर मुकदमा दायर किया गया था, आर. 6 को 09.02.2007 पर दायर किया गया था वर्ष 2010 के मुद्दों में, अतिरिक्त मुद्दों को तैयार किया गया था और परीक्षण किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह भी शुरू हुआ-मामले के उस दृष्टिकोण में, अब यू/Or.XII आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था, आर. 6 इस स्तर पर-गंभीर तथ्यात्मक विवादों और वाद में अपीलार्थियों के बचाव को देखते हुए, मामले के निपटारे के लिए बारी-बारी से जांच करने की अनुमति नहीं है।

आवेदन यू/या दायर किया गया है। बारहवीं, सी. पी. सी. का आर. 6-जब मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है, तो साक्ष्य की सराहना करके गुण-दोष के आधार पर मुकदमे में विभिन्न विवादास्पद मुद्दों और विवादों पर निष्कर्ष दर्ज करना वांछनीय है, लेकिन साथ ही इस स्तर पर मुकदमे की घोषणा करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है-उपरोक्त कारणों से, कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके, यह माना जाना चाहिए कि कोई नहीं है स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश, जैसा कि दावा किया गया है

उत्तरदाता-वादी। अपीलार्थियों के इस रुख को ध्यान में रखते हुए कि दिनांकित समझौते के पृष्ठ 3 और 4 के साथ छेड़छाड़ की गई है और उनके हस्ताक्षर मनगढ़ंत हैं, जब विशिष्ट मुद्दा पहले से ही तैयार किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि स्पष्ट और स्पष्ट हैं।

अपीलार्थियों द्वारा बिना शर्त प्रवेश। केवल प्रवेश स्वयं व्यवस्था/अनुबंध करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अलगाव में, आगे की आपत्तियों पर विचार किए बिना

अपीलार्थी कि समझौते के कुछ पृष्ठ मनगढ़ंत हैं। यदि अपीलार्थी यह साबित करते हैं कि समझौता इस प्रकार गढ़ा गया है

दावा किया गया, मुकदमे के बाद यह प्रतिवादियों-वादियों के दावे पर मामले की जड़ तक जाता है। [पैरा 33] [840-जी-एच; 841-ए-बी]

2. इस मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमा 1.11.2006 पर दायर किया गया था और लिखित बयान 25.01.2007 पर दायर किया गया था और

आदेश XII, नियम 6 के तहत आवेदन 9.2.2007 पर दायर किया गया था। वर्ष 2010 में मुद्दे और अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए गए और मुकदमा भी शुरू किया गया। मामले के उस दृष्टिकोण में, इस स्तर पर सी. पी. सी. के आदेश XII, नियम 6 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, दावा किए गए प्रवेश पर मुकदमे को डिक्री करने के लिए अब विवादित आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं है। गंभीर तथ्यात्मक विवादों को देखते हुए और

मुकदमे में अपीलार्थियों का बचाव, इसकी अनुमति नहीं है सी. पी. सी. के आदेश 12, नियम 6 के तहत दायर आवेदन के निपटारे के लिए बारी-बारी से जांच करना।

जब परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है, तो हरि स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। & एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस।

विभिन्न विवादास्पद मुद्दों और विवादों पर साक्ष्य की सराहना करके गुण-दोष के आधार पर मुकदमे में निष्कर्ष दर्ज करना वांछनीय है, लेकिन साथ ही इस स्तर पर मुकदमे को आदेश देने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और यह उत्तरदायी है -

इस जमीन पर अकेले खड़े रहें। [पैरा 37] [842-ई-जी]

3. इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमा बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है। मांगी गई राहत यह है

न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत। दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए वादी की ओर से तत्परता और इच्छा का अनुरोध किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। सबसे पहले, 1.11.2006 पर दायर की गई शिकायत में ऐसा कोई दावा नहीं था। लिखित बयान दाखिल करने के बाद, प्रतिवादी-वादी की ओर से तैयारी और इच्छा के अनुरोध को शामिल करने के लिए 20.3.2007 पर अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था, जिसे बाद में अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थियों-वादियों की ओर से तैयारी और इच्छा का अनुमान केवल इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने विवादित आदेश पारित होने के बाद शेष राशि जमा कर दी है। लिखित विवरण के संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के अभाव में भी, वादी की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि वे विशिष्ट प्रदर्शन की न्यायसंगत राहत का दावा करने के लिए अनुबंध करने के लिए तैयार और तैयार थे। अनिग्लेस योहानन बनाम रामलता और अन्य के मामले में अपीलार्थियों द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया। , इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (सी) के पीछे मूल सिद्धांत जिसे स्पष्टीकरण (ii) के साथ पढ़ा जाता है, यह है कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का लाभ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह प्रकट करना चाहिए कि उसका आचरण

उसे विशिष्ट राहत के लिए हकदार बनाने के दौरान निर्दोष रहा है। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने आगे कहा है कि अदालत को राहत मांगने वाले व्यक्ति के आचरण के आधार पर राहत देनी है। इस न्यायालय का उक्त निर्णय भी इसमें अपीलार्थियों की याचिका का समर्थन करता है। [पैरा 38] [842-एच; 843-ए-ई; 844-ए] 4. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय विवादित निर्णय पारित करने में त्रुटि में पड़ गया, जिसके द्वारा वाद का आदेश दिया गया

सी. पी. सी. के आदेश XII, नियम 6 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय देना। विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 40] [844-सी-डी] [2019] 6 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम। टाटा स्टील लिमिटेड (2011) 15 एससीसी 273: [2011] 7 एससीआर 60; एस. एम. आसिफ बनाम विरेन्द्र कुमार बजाज (2015) 9 एस. सी. सी. 287 [2015] 9 एस. सी. आर. 179; बलराज तनेजा और एक अन्य बनाम। सुनील मदान और दूसरा (1999) 8 एस. सी. सी. 396: [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 258; एनिग्लेस योहानन बनाम। रामलथा और ओआरएस। (2005) 7 एससीसी 534:

[2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 440-निर्भर।

कमल कुमार बनाम। प्रेमलता जोशी 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी

12 ; सारदामनी कंदप्पन बनाम। एस. राजलक्ष्मी और

ओआरएस। (2011) 12 एस. सी. सी. 18 [2011] 8 एस. सी. आर. 874; बलदेव सिंह और अन्य। वी. मनोहर सिंह और एक अन्य (2006)

6 एससीसी 498: [2006] 4 पूरक। एससीआर 259; उषा

बालासाहेब स्वामी और ओआरएस। वी. किरण अप्पासो स्वामी और ओआरएस। (2007) 5 एस. सी. सी. 602 [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 259; उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। (2000) 7 एससीसी 120: [2000] 2 पूरक। एससीआर

187 ; करम कपाही और अन्य। वी. लाल चंद पब्लिक

2005 दिल्ली 319; थिम्मप्पा राय बनाम। रमन्ना राय और अन्य (2007) 14 एस. सी. सी. 63: [2006] 6 पूरक। एससीआर 855; अल्ट्रामैटिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. भारतीय स्टेट बैंक और

ओआरएस। (2007) 4 Mh.L.J. 847-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 9 एस. सी. आर. 17

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2011] 7 एससीआर 60

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1999] 2 पूरक। एससीआर 258

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2011] 8 एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2006] 4 पूरक। एससीआर 259

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[2006] 4 पूरक। एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा 16 हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। & एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस।

[2000] 2 पूरक। एससीआर 187

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2010] 4 एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2011] 1 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1967] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2006] 6 पूरक। एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2005] 3 पूरक। एससीआर 440

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4265

2019 से।

उच्च न्यायालय के 02.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) संख्या 268 में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय।

रंजीत कुमार, पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मनीष अग्रवाल,

सुश्री रनुल रस्तोगी, सुश्री स्नेहलता मॉल, राहुल जी. तनवानी, वी. सी. शुक्ला, सुश्री सिंधुसा वी. एन. एल., सुश्री सौम्या जयकरण सिंह, ऋषि राज शर्मा, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

श्याम दीवान, आर. बसंत, ए. एस. चांधियोक, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

श्रीमती मनमीत अरोड़ा, सुश्री कविता वाडिया, ऋषभ बंसल, शशांक त्रिपाठी, केशव सहगल, सुश्री समपिका विश्वास, सुश्री श्रुति जोस, आशीष ढोलकिया, पी. एस. सुधीर, रोहन चावला, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह दीवानी अपील प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर की गई है। 1 और 2 में

2006 के सी. एस. (ओ. एस.) No.2046 में मुकदमा, 2 तारीख के फैसले से व्यथित

अगस्त, 2018,2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) No.268 में, नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2006 के सी. एस. (ओ. एस.) No.2046 में 2007 के आई. ए. No.1557 में पारित दिनांकित 24.7.2017 के फैसले को दरकिनार करते हुए, प्रतिवादियों के अंतर्वर्ती आवेदन और परिणामी प्रार्थनाओं की अनुमति दी है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ मुकदमे का फैसला सुनाया हैः

" (i) 24 जुलाई, 2017 का आदेश एल. डी. द्वारा पारित किया गया। एकल न्यायाधीश

आई. ए. No.1557/2007 पर सी. एस. (ओ. एस.) No.2046/2006 में एतद्वारा सेट किया गया है। एक तरफ और रद्द कर दिया।

(ii) I.A.No.1557/2007 की एतद्वारा अनुमति है और इसके परिणामस्वरूप मुक़दमे में वादियों की प्रार्थनाएँ, जैसा कि प्रार्थना की गई है, निर्धारित की जाती हैं।

विभाग के किसी भी प्राधिकरण से अनुमति, यदि कोई हो, प्राप्त करना और अपीलार्थियों के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख का तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करना। (vi) यदि प्रतिवादी अपीलार्थियों से राशि का भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं, तो राशि अपीलार्थियों द्वारा इस न्यायालय के महापंजीयक के नाम पर चेक के माध्यम से सीएस (ओएस) No.2046/2006 में जमा की जाएगी। जमा करने पर, कहा गया

चेक को रजिस्ट्री द्वारा भुनाया जाएगा और इसकी राशि को शुरू में छह महीने की अवधि के लिए एक निश्चित जमा रसीद में रखा जाएगा, जिसे एल. डी. के अगले आदेश तक नवीनीकृत रखा जाएगा। वाद कार्यवाहियों में एकल न्यायाधीश।

(vii) ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी एल. डी. द्वारा उचित कार्यवाही द्वारा निर्णय और डिक्री के निष्पादन के लिए उचित उपाय करने के हकदार होंगे। एकल न्यायाधीश। (viii) मामले के निर्णय में उत्तरदाताओं द्वारा की गई देरी और अदालत के समक्ष उनके आचरण को देखते हुए, उत्तरदाता अपीलार्थियों को रुपये की दर से लागत का भुगतान करेंगे। 1 प्रत्येक के लिए लाख

मुकदमेबाजी का वर्ष 1 नवंबर, 2006 से जुलाई, 2018 तक कुल रु। 11,50,000 / - 11 1/2 वर्ष की अवधि के लिए।

(ix) रुपये की लागत। 1,00,000 / - प्रत्येक को दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है; दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र और दिल्ली इंटरनेशनल

मध्यस्थता केंद्र, जिसका भुगतान उत्तरदाताओं द्वारा आज से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और जमा का प्रमाण रजिस्ट्री में दाखिल किया जाएगा। प्राप्तियों की प्रति अपीलार्थियों को जमा करने के तुरंत बाद वकील के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

(x) यदि उत्तरदाता एस. एन. ओ. पर लागत जमा करने में विफल रहते हैं। (viii) और (ix) उपरोक्त, जैसा कि निर्देश दिया गया है, अपीलार्थी हरि स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कटौती करने के हकदार होंगे।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

(xi) आदेश को ध्यान में रखते हुए हम भुगतान के संबंध में आदेश पारित कर रहे हैं। आज तक मुकदमे में लागत, हम आगे लागू करने से बच रहे हैं

वर्तमान अपील में उत्तरदाताओं पर व्यय।

(xii) अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

4. प्रत्यर्थियों-वादी ने बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए उपरोक्त मुकदमा दायर किया है, जो इस पर समाप्त हुआ है 7.4.2005 और आगे नंबर ए-22, मोहन सहकारी औद्योगिक संपदा, मथुरा रोड, नई दिल्ली वाली संपत्ति के संबंध में उत्तरदाताओं और अपीलार्थियों के बीच 3.5.2005 पर दर्ज किया गया। वादी ने अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की भी मांग की ताकि उन्हें मुकदमे की संपत्ति को तीसरे पक्ष को बेचने, स्थानांतरित करने या बोझ डालने से रोका जा सके और प्रतिवादी संख्या के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। 2 अपीलार्थी सं. 1/प्रतिवादी सं. 1 में 10 लाख शेयरों की अपनी हिस्सेदारी के हस्तांतरण या बोझ से 6 तक

कंपनी। यह वादी का मामला था कि अपीलार्थी सं. 2,

अपीलकर्ता संख्या 1 कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख शेयरधारक के रूप में, वाद संपत्ति की बिक्री के लिए प्रत्यर्थियों-वादी से संपर्क किया

और व्यवसाय की सद्भावना सहित 'दक्षिण दिल्ली टोयोटा' के नाम और शैली में किया गया व्यवसाय। यह उनका मामला है कि 7.4.2005 पर, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2-वादी और पहली अपीलकर्ता कंपनी अपने प्रबंध निदेशक/दूसरे अपीलार्थी के माध्यम से एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है।

सूट अनुसूची संपत्ति की बिक्री, 'दक्षिण दिल्ली टोयोटा' के चल रहे व्यवसाय के संबंध में सद्भावना और फ्रेंचाइजी अधिकारों के हस्तांतरण के लिए समझौता। 55.50 करोड़। यह उनका आगे का मामला है कि 7.4.2005 पर उक्त निष्कर्षित अनुबंध के अनुसार, प्रत्यर्थियों-वादियों ने 2 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है, अर्थात, रु।

करोड़ [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नकद में और 1 करोड़ रुपये चेक द्वारा और उक्त राशि को अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा स्वीकार किया गया था। यह उनका आगे का मामला है कि उन्होंने दिनांकित 7.4.2005 की समझ/समझौते के अनुसरण में 3.5.2005 पर बेचने के लिए लिखित समझौता किया है। कुल विचार का विभाजन

समझौते में इस प्रकार बताया गया हैः

(i) नंबर ए-22, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली वाली भूमि और भवन की खरीद के लिए Rs.49 करोड़।

(ii) टोयाटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट की फ्रेंचाइजी डीलरशिप के व्यवसाय को चलाने के लिए 6 करोड़ पचास लाख रुपये।

लिमिटेड 'दक्षिण दिल्ली टोयोटा' के नाम और शैली में जारी रहा।

(iii) चालू व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य में अंतर, बैलेंस शीट के आधार पर

15.6.2005 पर प्रस्तुत किया गया।

5. वादी का यह और मामला है कि उन्होंने बिक्री के लिखित समझौते की तारीख को 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है।

3.5.2005 अपीलार्थी सं. 1 कंपनी को। दिनांकित 3.5.2005 समझौते में, आंशिक प्रतिफल के भुगतान के पहलू को निम्नानुसार दर्ज किया गया हैः

" 2 (क) रुपये के कुल विचार में से। 55.50,00,000/(Rs.Fifty केवल पाँच करोड़ पचास लाख) खरीदारों ने विक्रेता को आंशिक विचार के रूप में रु. 5,00,00,000/- (Rs.Five केवल करोड़) की राशि का भुगतान किया है; इस समझौते के निष्पादन के समय

निम्नलिखित तरीके से बेचेंः

क) चेक नं. 840711 डीटी 7.4.2005 आईसीआईसीआई बैंक, पंजाबी बाग पश्चिम, नई दिल्ली पर खींचा गया-रु. 1,00,00,000/- (रु. केवल एक करोड़)

ख) चेक नं. 840633 dt 28.4.2005 आई. सी. आई. सी. आई. बैंक, पंजाबी पर अंकित

जिसकी रसीद विक्रेता एतद्वारा स्वीकार करता है। 6. अपीलार्थी-मुक़दमे में प्रतिवादियों ने अपना लिखित आवेदन दायर किया है

25.01.2007 पर कथन।

7. दायर किए गए लिखित बयान में, अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थियों-वादियों ने जाली हस्ताक्षर करके हरि स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांकित 3.5.2005 को बेचने का समझौता किया है।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

अपीलार्थी सं. 1 के निदेशक, अर्थात् श्री राम दिलावरी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं। इस पर सवाल उठाते हुए आगे भी आपत्ति जताई गई है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत 2005 के सीएस (ओएस) <आईडी2 में 2006 के I.A.No.61 में उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को देखते हुए मुकदमे की स्थिरता, जिसमें उन्होंने दिनांकित 3.5.2005 समझौते की वास्तविकता को चुनौती दी है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 16 द्वारा अनुबंध को पूरा करने के लिए उनकी ओर से तैयारी और इच्छा के किसी भी अनुरोध के अभाव में मुकदमा प्रतिबंधित है।

8. मुकदमे में मांगी गई राहतों का विरोध करते हुए, अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों ने दलील दी है कि हालांकि प्रतिवादियों-वादी के साथ भूमि विज्ञापन की बिक्री के लिए एक समझौता किया गया था-जिसका माप 19074.69 वर्ग मीटर था। याड्र्स बेयरिंग नं। ए-22, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली, लेकिन उक्त अनुबंध को कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि प्रकृति, विस्तार और विभिन्न खंडों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह अनुरोध किया जाता है कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 03.05.2005 दिनांकित समझौते में सभी आवश्यक कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे।

और इन्हें आपसी समझौते के बाद ही भरा जाना था। विशिष्ट अभिकथन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रतिवादी-वादी ने Mr.T.R. आर्य अर्थात तीसरे प्रतिवादी की मिलीभगत से समझौते पर हस्ताक्षर सहित मनगढ़ंत तथ्य और आंकड़े बनाए हैं। अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने 3 करोड़ रुपये की रसीद पर विवाद किया है, जो राशि कथित रूप से प्रतिवादियों द्वारा नकद के रूप में भुगतान की जाती है। यह दलील दी जाती है कि प्रत्यर्थियों-वादियों ने धोखाधड़ी से 3 करोड़ रुपये के भुगतान को विशेष रूप से नकद में शामिल किया है, जबकि केवल 2 करोड़ रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया गया था। लिखित में

बयान विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि, श्री टी. आर. आर्य (प्रतिवादी संख्या 3) ने वादी की मिलीभगत से अपीलार्थी संख्या 1 कंपनी में अपने पद का दुरुपयोग किया है और धोखाधड़ी में लिप्त है। लिखित बयान में अपीलकर्ताओं ने पृष्ठ संख्या पर हस्ताक्षर पर विवाद किया है। 3 और समझौते के 4 दिनांकित 3.5.2005। वादी द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों को नकारते हुए, अपीलकर्ता-प्रतिवादी यह कहते हुए कि संपत्ति को बेचने के लिए किसी भी अंतिम समझौते के अभाव में और कार्रवाई के किसी भी कारण के अभाव में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया जाता है और यह बनाए रखने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

9. 25.01.2007 पर लिखित बयान दाखिल करने के बाद, जिसमें इस आशय का विशिष्ट दावा किया गया है कि प्रतिवादी-वादी अनुबंध करने के लिए तैयार नहीं थे और इच्छुक नहीं थे, प्रतिवादी वादी ने [2019] 6 एस. सी. आर. के लिए 20 मार्च, 2007 को 2007 का I.A.No.3370 दायर किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाद का संशोधन, उनकी इच्छा और तैयारी के अनुरोध को शामिल करने के लिए, और इसकी अनुमति 16 अप्रैल, 2007 के आदेश द्वारा दी गई है।

10. उपरोक्त मुकदमे में, अपीलार्थी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 का बयान 21.9.2007 पर दर्ज किया गया था। इसके बाद, एक श्री प्रवीण कुमार

जॉली, जिसने मुकदमे की संपत्ति के आधे हिस्से के लिए अपने पक्ष में पहले समझौते का दावा किया था, ने भी मुकदमे में अपने पक्ष में 2007 का I.A.No.5422 दायर किया और इसे 8.12.2008 पर अनुमति दी गई। उन्होंने बाद में लिखित बयान भी दाखिल किया है। मुकदमे में मांगी गई सभी राहतों के लिए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, 02.02.2010 और 05.05.2010 पर मुद्दे और अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए गए थे। मुकदमे में बनाए गए मुद्दे और अतिरिक्त मुद्दे निम्नानुसार हैं:

" तैयार किए गए मुद्दे:

1. क्या वादी दिनांकित 03.05.2005 को बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री के हकदार हैं, यदि ऐसा है, तो

क्या प्रभाव पड़ता है? ओपीपी

2. क्या दिनांकित 03.05.2005 को बेचने के समझौते के पृष्ठ 3 और 4 को प्रतिवादी नं. 2 या नहीं, अगर ऐसा है तो क्या

प्रभाव? ओ. पी. डी-1 से 6

3. क्या 07.04.2005 दिनांकित रसीद जाली और मनगढ़ंत है?

ओ. पी. डी-1 से 6

4. राहत मिलती है।

अतिरिक्त मुद्दे:

1. क्या दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ है?

ओपीपी

2. क्या वादी द्वारा भरोसा किए गए समझौते में सम्मिलन/अंतर्वेशन हुए हैं, परिणामस्वरूप प्रतिपादन

वह समझौता लागू करने योग्य बेचने के लिए? ओ. पी. डी. "

11. मुकदमे में लिखित बयान दायर करने के बाद, प्रतिवादी सं। 1 और 2/वादियों ने आदेश XII नियम 6 के तहत 2007 का I.A.No.1557 दायर किया है।

सी. पी. सी. का, कुछ दावा किए गए प्रवेशों के आधार पर निर्णय के लिए प्रार्थना करना। 2007 के I.A.No.1557 में दायर आवेदन की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है। उपरोक्त आवेदन मुख्य रूप से यह दावा करते हुए दायर किया गया है कि जमानत आवेदन संख्या में अपीलार्थी। 4109-4110 2006 के चौथे प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी तैयारी और इच्छा हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्वीकार किया है।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

दिनांकित 3.5.2005 समझौते के संदर्भ में उनके पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए। ऊपर उल्लिखित जमानत आवेदन पुलिस स्टेशन सरिता विहार की फाइल पर 2006 की एफ. आई. आर. No.517 में दर्ज अपराध के संबंध में दायर किए गए थे, जो आई. पी. सी. की धारा 420 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए दर्ज श्री प्रवीण कुमार जॉली (प्रथम खरीदार) द्वारा दर्ज शिकायत पर दर्ज किया गया था। उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री प्रवीण कुमार जॉली ने आरोप लगाया है कि 24.5.2003 पर उनके पक्ष में किए गए समझौता ज्ञापन के निर्वाह के दौरान, अनुसूचित संपत्ति के एक हिस्से के लिए प्रतिवादी संख्या के साथ एक और समझौता किया है। 1 और 2 3.5.2005 पर। इस प्रकार, यह अनुरोध किया जाता है कि इसमें अपीलकर्ताओं ने कई समझौतों में प्रवेश करके धोखाधड़ी का अपराध किया है। दावा किए गए प्रवेशों को छोड़कर अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों-प्रतिवादियों के वकील द्वारा कथित रूप से किया गया है, आवेदन में किसी अन्य स्वीकारोक्ति का दावा नहीं किया गया है। उक्त अंतर्वर्ती आवेदन को अपीलार्थियों और अन्य प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई है जिन्होंने दिनांकित समझौते की वास्तविकता पर गंभीर रूप से विवाद किया है और आरोप लगाया है कि समझौते के पृष्ठ 3 और 4 को उन पृष्ठों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिन पर प्रतिवादी संख्या 2 के जाली हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उन्होंने यह कहते हुए भी विवाद किया कि अपीलकर्ताओं के पूरे मामले में केवल Rs.Two करोड़ की रसीद स्वीकार की जा रही है, लेकिन Rs.Five करोड़ नहीं जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, अंतर्वर्ती आवेदन में मांगी गई राहत का अपीलकर्ताओं ने यह दलील देते हुए विरोध किया कि श्री प्रवीण कुमार जॉली द्वारा दायर 2005 के सी. एस. (ओ. एस.) संख्या 1508 में वादी द्वारा उक्त समझौता प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक आई. डी. 1 की जालसाजी और मनगढ़ंत बात सामने आई और दिनांक आई. डी. 1 की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद, उन्होंने आई. डी. 4 की धारा 340 के तहत 2006 के आई. ए. (ओ. एस.) <आई. डी. 2 में एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें दिनांक आई. डी. 1 की वास्तविकता को चुनौती दी गई। इस प्रकार, यह अनुरोध किया जाता है कि जब तक 3.5.2005 दिनांकित समझौते की वास्तविकता का अंत में निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए किसी डिक्री का दावा नहीं किया जा सकता है।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश, यह दर्ज करते हुए कि समझौते के अनुसार Rs.Five करोड़ के भुगतान के संबंध में एक गंभीर विवाद है

अपीलार्थियों द्वारा दर्ज किया गया, और समझौते के पृष्ठ 3 और 4 पर हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी, जैसा कि अपीलार्थियों-प्रतिवादियों द्वारा दावा किया गया है, ने माना है कि ऐसे मुद्दों को केवल मुकदमे के बाद ही हल किया जाना है, जब पक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि प्रवेश पर आदेश का दावा करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रवेश स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए।

9] 6 एस. सी. आर. के साथ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त निष्कर्षों, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 24.7.2017 के एक आदेश द्वारा, उत्तरदाताओं-वादियों पर Rs.50,000/- की लागत लागू करके 2007 के I.A.No.1557 में आवेदन को खारिज कर दिया।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के तहत अपील को प्राथमिकता दी है। डिवीजन बेंच ने दिनांक 2.8.2018 के विवादित फैसले द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 24.7.2017 के आदेश को दरकिनार कर दिया है और परिणामी मंजूरी देकर 2007 के I.A.No.1557 की अनुमति दी है।

राहत दी और उत्तरदाताओं-वादी को रुपये की शेष राशि का भुगतान करने की अनुमति दी। निर्णय की तारीख से तीन महीने और 15 दिनों की अवधि के भीतर 50.50 करोड़। डिवीजन बेंच का विचार था कि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया है, जिसके साथ एक समझौता किया गया है

मार्च, 2007। इसके अलावा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मुकदमे में अपीलकर्ताओं का बचाव वास्तविक नहीं है और अदालत के रिकॉर्ड पर दलीलों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम के तहत वैधानिक फाइलिंग के विपरीत है, और यह कि कोई वास्तविक परीक्षण योग्य मुद्दा नहीं है जो मुकदमे में मुकदमे को उचित ठहरा सके, डिवीजन बेंच ने दावा किए गए प्रवेश पर निर्णय दिया। 14. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और श्री पी. एस. नरसिम्हा ने निम्नलिखित बातें कही हैं:

प्रस्तुतियाँ:

15. हालाँकि कोई स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश नहीं हैं, जैसा कि उत्तरदाताओं-वादियों द्वारा दावा किया गया है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आवेदन के दायरे से परे जाकर इसकी अनुमति दी। यह मुकदमा वर्ष 2006 में दायर किया गया था, जिसमें अपीलार्थियों द्वारा लिखित बयान पहले ही दायर किया जा चुका है। दिनांकित 'आई. डी. 1' को बेचने के समझौते के पृष्ठ 3 और 4 पर अपने हस्ताक्षरों की जालसाजी और 'आई. डी. 2' करोड़ की प्राप्ति का दावा करने वाले अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए गंभीर तथ्यात्मक विवादों को देखते हुए, विशिष्ट मुद्दे तैयार किए जाते हैं और जिन पर परीक्षण के बाद ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह कहा गया है कि सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत दायर आवेदन को एक दशक से अधिक समय से लंबित रखा गया है और मुकदमे में मुकदमा शुरू होने के बाद निपटाया जाता है; सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत राहत देने के उद्देश्य से अकेले श्रेणीबद्ध और बिना शर्त प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। आपराधिक कार्यवाहियों में की गई कुछ टिप्पणियाँ

जमानत आवेदन के संबंध में प्रवेश हरि स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में गलत समझा जाता है।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा; मुकदमा स्वयं विशिष्ट अनुदान के लिए है।

समझौते का निष्पादन, जो विवेकाधीन और न्यायसंगत राहत है, न्यायालय मुकदमे में कई विवादास्पद मुद्दों का जवाब देकर पूर्ण परीक्षण के बाद ही निष्कर्ष पर आ सकता है। यहां तक कि आदेश XII नियम 6 के तहत दावा की गई राहत भी विवेकाधीन है और कोई भी पक्ष अधिकार के मामले में निर्णय का दावा नहीं कर सकता है। इस दलील का समर्थन करने के लिए विद्वान वकील ने

एस. एम. आसिफ बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा। विरेन्द्र कुमार बजाज 1. उनकी याचिका की पुष्टि करने के लिए कि प्रवेश स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए, इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड 2 का मामला। इस दलील के समर्थन में कि विशिष्ट निष्पादन के लिए दायर किए गए मुकदमे में, अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए वादी की तैयारी और इच्छा का अनुरोध करना और साबित करना अनिवार्य है, बलराज तनेजा और एक अन्य बनाम सुनील मदान और अन्य 3 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया। याचिका के समर्थन में

कि बिक्री के समझौते के साथ छेड़छाड़ और मनगढ़ंत होने को देखते हुए, इसे विवेकाधीन और न्यायसंगत राहत देने के लिए एक वैध और निष्कर्षित अनुबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है, विद्वान वकील ने कमल कुमार बनाम प्रेमलता जोशी 1 के मामले में इस न्यायालय के फैसले और सारदामनी कंदप्पन बनाम एस. राजलक्ष्मी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। 3. उनकी इस दलील के समर्थन में कि लिखित बयान में असंगत दलीलें स्वीकार्य हैं, बलदेव सिंह और अन्य के मामले में फैसले पर भरोसा किया जाता है। बनाम मनोहर सिंह और दूसरा और उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य के मामले में निर्णय पर भी। बनाम किरण अप्पासो स्वामी और ओआरएस। 7 .

प्रस्तुतियाँ। 17. विवादित निर्णय अपीलार्थियों द्वारा 7.4.2005 पर दर्ज किए गए अपने अनुबंध को पूरा करने के लिए किए गए कई स्वीकारों पर आधारित है और

3.5.2005 ; सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रावधान का उल्लेख करके

1 1 (2015) 9 एससीसी 287

2 (2011) 15 एस. सी. सी. 273 3 3 (1999) 8 एससीसी 396

4 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 12 5 (2011) 12 एससीसी 18

6 (2006) 6 एससीसी 498 7 (2007) 5 एससीसी 602 [2019] 6 एस. सी. आर.

1908 जैसा कि 1976 के अधिनियम 104 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए; संशोधन न्यायालय के अनुसार निर्णय देने का अधिकार है जहां तथ्य को स्वीकार किया गया है। या तो अभिवचनों में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में। अपीलकर्ताओं ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वे अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए, बिक्री के लिए समझौते में प्रवेश करने की उनकी स्वीकृति और इसके लिए Rs.Five करोड़ की राशि की प्राप्ति के संबंध में।

आंशिक रूप से विचार; कि पहली अपीलकर्ता कंपनी की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत दायर की गई तुलनपत्र और वैधानिक प्रपत्र भी अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति को प्रकट करते हैं; श्री प्रवीण कुमार जॉली द्वारा दायर मुकदमे में अभिवचनों में, अपीलकर्ताओं ने बिना किसी छेड़छाड़ और मनगढ़ंत आरोप के समझौते की स्वीकृति को स्वीकार किया है, बिना किसी आईडी1> करोड़ की प्राप्ति पर विवाद किए, क्योंकि विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

18. इस दलील के समर्थन में कि सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और इसके अर्थ को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके उद्देश्य के विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर भरोसा रखा

उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में निर्णय। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और Ors.[3] और करम कपाही और अन्य के मामले में भी। बनाम लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और Anr.[º]

19. इस दलील के समर्थन में कि तुलनपत्र में प्रविष्टियाँ की गई हैं

20. इस दलील के समर्थन में कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित वाद में एक पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है। अन्य मुकदमों में, बसंत सिंह बनाम जानकी सिंह और अन्य के मामले में निर्णय पर भरोसा किया जाता है। . रिलायंस को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विजया माइने बनाम सत्य भूषण कौरा 1 2 के मामले में फैसले पर भी रखा गया है, जिसमें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश और पारित निर्णय को बरकरार रखा है। 8 (2000) 7 एससीसी 120

9 9 (2010) 4 एससीसी 753

10 (2011) 11 एस. सी. सी. 571

11 आकाशवाणी 1967 एससी 341

1 2 2007 (142) डी. एल. टी. 483 हैरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। & एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

एकल न्यायाधीश जिसमें प्रतिवादी द्वारा किए गए कुछ स्वीकारों के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दिया गया था।

21. श्री बसंत, प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील

संख्या 2 ने सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उक्त प्रावधान के अनुसार प्रदत्त शक्ति केवल आवेदन पर ही नहीं बल्कि अदालत पर भी है स्वयं भी, प्रवेश के आधार पर निर्णय दे सकते हैं या तो

अभिवचन या अन्यथा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रावधान को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। 22. प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ढोलकिया ने प्रस्तुत किया है कि कंपनी पंजीयक के समक्ष दायर तुलनपत्रों से अपीलार्थियों के कई स्वीकारोक्ति स्पष्ट हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तुलनपत्र के संशोधन के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में, इस तरह की तुलनपत्र में की गई प्रविष्टियों को खंड पीठ द्वारा विवादित निर्णय में प्रवेश के रूप में उचित रूप से माना जाता है। याचिका के समर्थन में, विद्वान वकील ने राजीव श्रीवास्तव बनाम संजीव तुली और अन्य 1,3 के मामले में फैसले पर भरोसा किया है।

थिम्मप्पा राय बनाम रमन्ना राय और अन्य 1 4 और अल्ट्रामैटिक्स सिस्टम्स प्राइवेट के मामले में निर्णय। लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। 1 5

23. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जवाबी दलीलें दीं

उसने प्रस्तुत किया है कि सी. पी. सी. के आदेश बारहवें नियम 6 में निर्दिष्ट प्रवेश एक ही मुकदमे में होने चाहिए, लेकिन किसी अन्य मुकदमे में और आपराधिक कार्यवाही में कथित रूप से किए गए प्रवेश के आधार पर किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 1 के तहत परिभाषित "अभिवचन" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए आगे कहा गया है कि सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 में संदर्भित "अन्यथा" शब्द मुकदमे में अभिवचनों के अलावा सीमित उद्देश्य के लिए है, लेकिन अन्य मुकदमों और आपराधिक मामलों में प्रवेश को शामिल करके आवेदन का दायरा बढ़ाने के लिए नहीं है। कार्यवाही।

24. दूसरे अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. नरसिम्हा ने प्रस्तुत किया है कि जितना मुकदमा समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है और उतना ही एक विवेकाधीन और विवेकाधीन है। न्यायसंगत राहत और दी गई स्थिति में, न्यायालय अनुदान देने से भी इनकार कर सकता है।

13 आकाशवाणी 2005 दिल्ली 319 14 14 एस. सी. सी. 63 15 (2007) 4 Mh.L.J. 847 [2019] 6 एस. सी. आर.

विशिष्ट निष्पादन की डिक्री, भले ही समझौता सिद्ध माना जाए। विद्वान वकील ने अनिग्लेस योहानन बनाम रामलता और Ors.16 के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा है। 25. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने विवादित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया है। विवादित आदेश सी. पी. सी. के आदेश बारहवें नियम 6 के तहत प्रतिवादी वादी द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया जाता है। आदेश XII नियम 6 के तहत उक्त प्रावधान निम्नानुसार हैः

" 6.प्रवेश पर निर्णय। - (1) जहाँ तथ्य को या तो अभिवचन में या अन्यथा स्वीकार किया गया है, चाहे मौखिक रूप से या अन्यथा लिखित रूप में, न्यायालय वाद के किसी भी स्तर पर, या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और पक्षों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसा आदेश दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है जो वह उचित समझे।

(2) जब भी उप-नियम (1) के तहत कोई निर्णय सुनाया जाता है, तो निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख होगी जिस दिन निर्णय दिया गया था।

"कहा जाता है।

26. उपरोक्त नियम को 1976 के अधिनियम 104 द्वारा संशोधित किया गया था।

जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कई संशोधन किए गए थे। 1976 के संशोधन से पहले, प्रवेश पर निर्णय केवल लिखित आवेदन तक ही सीमित था। संशोधन के आधार पर कि

प्रवेश मौखिक या लिखित होते हैं, न्यायालय को मुकदमे के किसी भी चरण में ऐसे प्रवेश पर निर्णय देने का अधिकार होता है।

27. हाथ में मामले में, पहली बार अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 यानी श्री प्रवीण कुमार जॉली के साथ मुकदमे की संपत्ति के आधे हिस्से के संबंध में 24.05.2003 पर एक समझौता ज्ञापन दर्ज किया गया था। यह अपीलार्थियों का मामला है कि श्री प्रवीण कुमार जॉली द्वारा समझौता ज्ञापन की शर्तों का पालन न करने के कारण, उक्त समझौता ज्ञापन था

अगस्त, 2004 में समाप्त किया गया और बाद में प्रतिवादी संख्या के साथ एक व्यवस्था/अनुबंध किया गया। 1 और 2-7.4.2005 और बाद के समझौते दिनांक 3.5.2005 पर वादी। यह विशिष्ट मामला है

उत्तरदाताओं का मामला-वादी कि रुपये की राशि। पाँच करोड़ था।

16 (2005) 7 एस. सी. सी. 534 हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। & एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

उत्तरदाता-वादी, यह अपीलार्थियों का मामला है कि समझौते की शर्तें ठोस नहीं थीं। इस प्रकार दिनांकित 3.5.2005 समझौते में लगभग सभी आवश्यक कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। लिखित में किए गए आगे के कथनों का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। हमारे समक्ष इस अपील के निपटारे के लिए बयान। लिखित बयान दाखिल करने के बाद, प्रत्यर्थियों-वादियों ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत 9.2.2007 पर वर्तमान आवेदन दायर किया है, जिसके लिए

जवाब अपीलार्थियों द्वारा 19.3.2007 पर दाखिल किया गया था। 2006 के आई. डी. 1 में अपीलार्थियों और अन्य प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाब में इस आधार पर मांगी गई राहत का विरोध किया गया कि किसी भी स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश के अभाव में राहत नहीं दी जा सकती है।

2007 के आई. डी. 2 में आवेदन केवल इस आधार पर दायर किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा दायर जमानत याचिका में, चौथे प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न आपराधिक मामले के संबंध में, अपीलार्थियों के वकील ने आई. डी. 1 पर किए गए अनुबंध को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी का अनुरोध किया है। आवेदन में दावा किया गया है कि उक्त प्रवेश याचिका के अलावा कोई अन्य प्रवेश नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 24.7.2017 आदेश के माध्यम से आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। क्रम में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थियों के रुख को ध्यान में रखते हुए कि 3.5.2005 दिनांकित समझौता मनगढ़ंत है और दूसरे अपीलार्थी के हस्ताक्षर पृष्ठ 3 पर मनगढ़ंत हैं और

4 समझौते के अनुसार, ऐसे मुद्दों को परीक्षण के बाद ही हल किया जा सकता है। लेकिन दावा किए गए प्रवेश पर निर्णय देने का कोई आधार नहीं है। विद्वान।

एकल न्यायाधीश ने निर्णय के पैरा 41 और 42 में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" 41. उपरोक्त एक गंभीर विवाद पैदा करता है कि क्या, या नहीं,

प्रतिवादियों को वास्तव में समझौते के तहत 5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जैसा कि वादी द्वारा आरोप लगाया गया है, या केवल 2 करोड़ रुपये चेक द्वारा प्राप्त हुए हैं जैसा कि प्रतिवादी संख्या द्वारा आरोप लगाया गया है। 1 6 तक। प्रतिवादियों ने आरोप लगाया है कि समझौते के दो पृष्ठ,

जो अन्य बातों के साथ-साथ 5 करोड़ रुपये की रसीद दर्ज करता है।

समझौते के तहत प्रतिवादियों को-जिसमें 3 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं, उन पृष्ठों से बदल दिया गया है जिन पर प्रतिवादी संख्या 2 के जाली हस्ताक्षर हैं। इस पहलू पर, न्यायालय द्वारा 05.05.2010 पर अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए गए थे। चूंकि वादी का दावा है कि उन्होंने समझौते के तहत 3 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी राशि का नकद भुगतान किया है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा विवादित किया गया है, इसलिए वादी को अन्य बातों के साथ-साथ इस पर इतनी बड़ी राशि की नकदी की उपलब्धता दिखाकर इसे साबित करना होगा।
प्रासंगिक तिथियाँ। मेरे विचार में, जब तक उन मुद्दों का निर्णय नहीं हो जाता है-जो तथ्य के मुद्दे हैं, इस स्तर पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वादी द्वारा जिस समझौते पर भरोसा किया गया था, वह पार्टियों के बीच किया गया था या नहीं।

42. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक वादी को प्रवेश पर एक डिक्री का हकदार बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि वादी के मामले/दावे के संबंध में प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकृति स्पष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए।

असंदिग्ध। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा की गई एकमात्र स्वीकारोक्ति उनके प्रवेश के संबंध में है

वाद संपत्ति की बिक्री के लिए वादी के साथ समझौता/समझौता ज्ञापन; दक्षिण दिल्ली टोयोटा की सद्भावना, और; उक्त हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुद्ध संपत्ति।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

व्यवसाय। यह भी सहमति हुई कि सूट संपत्ति के लिए बिक्री पर विचार Rs.49 करोड़ था; दक्षिण दिल्ली टोयोटा के व्यवसाय की सद्भावना के लिए रु। 6.5 करोड़ और; दक्षिण दिल्ली टोयोटा के व्यवसाय की कुल संपत्ति की बिक्री के लिए, उतनी ही राशि प्रतिवादियों को हस्तांतरित की जानी थी। इस हद तक, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा स्वीकार किए गए हैं। हालाँकि, इस बात पर गंभीर विवाद है कि क्या वादी ने 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, यानी 2 करोड़ रुपये चेक द्वारा और 3 करोड़ रुपये नकद में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक, या केवल 2 करोड़ रुपये चेक द्वारा। यह विवाद मामले की जड़ तक जाता है। जब तक और जब तक उक्त विवाद वादी के पक्ष में हल नहीं हो जाता है, तब तक न्यायालय द्वारा समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय पहले ही तथ्य के मुद्दों को तैयार कर चुका है

उपरोक्त पहलू "।

28. अपील पर डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि अपीलकर्ताओं ने दिनांकित समझौते के निष्पादन को स्वीकार किया है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी पूरे मामले में, अपीलार्थियों का मामला यह है कि हालांकि उन्होंने 7.4.2005 और 3.5.2005 पर व्यवस्था/समझौता किया है

उत्तरदाता-वादी और रुपये प्राप्त किए। चेक के माध्यम से दो करोड़, लेकिन इस तरह के समझौते को समझौते के पृष्ठ 3 और 4 पर जाली हस्ताक्षर करके गढ़ा जाता है। अपीलार्थियों के ऐसे रुख को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देकर निर्णय देने के उद्देश्य से दिनांकित व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने के मात्र प्रवेश को एक स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश नहीं कहा जा सकता है। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2006 के सीएस (ओएस) NO.2046 में वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले, जब चौथे प्रतिवादी श्री प्रवीण कुमार जॉली द्वारा दायर मुकदमे में 3.5.2005 दिनांकित दस्तावेज पेश किया गया था, तो अपीलकर्ताओं ने 3.1.2006 पर 2005 के सीएस (ओएस) No.1508 में 2006 का आई. ए. No.61 दायर किया है। उपरोक्त आई. ए. में, दिनांकित 3.5.2005 समझौते की वास्तविकता को चुनौती दी गई थी, जिसे बाद में निपटाया गया था।

7.12.2016 . 2006 के सीएस (ओएस) No.2046 में वर्तमान मुकदमा बाद में 1.11.2006 पर दायर किया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस आधार पर आगे बढ़ी है कि दिनांकित 3.5.2005 को बेचने के समझौते पर कोई विवाद नहीं है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सी. एस. में मुकदमा। 2005 का (ओएस) No.1508 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किया गया था।

चौथे प्रत्यर्थी द्वारा और दिनांकित [2019] 6 एस. सी. आर. को बेचने के समझौते को प्रस्तुत करने पर।

3.5.2005 , उन्होंने पहले ही 2006 का I.A.No.61 दायर कर दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि 3.5.2005 दिनांकित दस्तावेज़ का मनगढ़ंत था और पृष्ठ 3 और 4 पर उनके हस्ताक्षर जाली थे। अपीलार्थियों की इस तरह की याचिका को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि इस तरह के प्रवेशों को गलत तरीके से स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश के रूप में माना जाता है।

सी. पी. सी. के आदेश बारहवें नियम 6 के तहत दायर आवेदन के निपटारे के उद्देश्य से उच्च न्यायालय। इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने वर्षों के लिए पहली अपीलकर्ता कंपनी की बैलेंस शीट 2004-05,2005-06 और 2006-07 पर भरोसा किया है और साथ ही लेखा परीक्षक द्वारा संबोधित किए गए पत्र पर भी भरोसा किया है। उपरोक्त दस्तावेजों पर, अपीलकर्ताओं की याचिका यह है कि ऐसे दस्तावेज भी जाली और मनगढ़ंत तुलनपत्र हैं जो उनके लेखा परीक्षक श्री एस. आर. वार्ष्णेय द्वारा श्री टी. आर. आर्य (प्रतिवादी संख्या 3), जो अपीलकर्ताओं के लिए एक सामान्य चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, की मिलीभगत से आरओसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। 1 और 2. कंपनी से संबंधित तुलनपत्र और अन्य दस्तावेजों के संबंध में पक्षों द्वारा आरोप और जवाबी आरोप लगाए जाते हैं, जिनके गुण-दोष केवल मुकदमे के समय ही देखे जा सकते हैं जहां पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।

29. हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा आदेश XII नियम 6 की प्रकृति और दायरे पर विचार किया गया है। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रदत्त विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश पर निर्णय बिना मुकदमे के एक निर्णय है जो प्रतिवादी को किसी भी उपाय से स्थायी रूप से इनकार करता है। फैसले का पैरा 11 इस प्रकार हैः

" 11. यह सच है कि बैठक के कार्यवृत्त में निहित "स्वीकार" पर निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन प्रवेश स्पष्ट होना चाहिए। यह पार्टी द्वारा इसे बनाने का एक सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए, जो इससे बंधे रहने का इरादा दिखाता है। आदेश 12 नियम 6 एक सक्षम प्रावधान होने के कारण, यह न तो अनिवार्य है और न ही आकस्मिक, बल्कि विवेकाधीन है। अदालत, की जांच पर

तथ्यों और परिस्थितियों को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना होगा,

यह ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश पर निर्णय बिना मुकदमे के एक निर्णय है जो योग्यता के आधार पर अपील के माध्यम से प्रतिवादी को किसी भी उपचार से स्थायी रूप से इनकार करता है। इसलिए जब तक स्वीकारोक्ति स्पष्ट, असंदिग्ध और बिना शर्त नहीं है, तब तक न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग दावे को चुनौती देने के प्रतिवादी के मूल्यवान अधिकार से इनकार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में विवेकाधिकार का उपयोग केवल हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ही करना चाहिए।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

जब कोई स्पष्ट "स्वीकार" हो जिस पर कार्रवाई की जा सके। (देखें। उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

[(2000) 7 एस. सी. सी. 120], करम कपाही बनाम। लाल चंद पब्लिक

धर्मार्थ न्यास (2010) 4 एस. सी. सी. 753: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 262] और जीवन डीजल एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड v. जसबिर सिंह चड्ढा [(2010) 6 एससीसी 601: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 745]। इस मामले में ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है।

30. एस. एम. आसिफ बनाम के मामले में निर्णय में। विरेन्द्र कुमार बजाज (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. के आदेश बारहवें नियम 6 के तहत शक्ति विवेकाधीन है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां प्रतिवादियों ने मुद्दा उठाया है

आपत्तियाँ, जो मामले की जड़ तक जाती हैं, सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। अनुच्छेद 8

फैसला इस प्रकार पढ़ा गयाः

" 8. आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. में शब्द "हो सकता है" और "ऐसा आदेश दे सकता है". यह दर्शाता है कि आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. के तहत शक्ति है विवेकाधीन और अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। प्रवेश पर निर्णय अधिकार का मामला नहीं है और बल्कि एक मामला है

न्यायालय का विवेकाधिकार। जहाँ अभियुक्तों ने उठाया है

आपत्तियाँ जो मामले की जड़ तक जाती हैं, यह नहीं होगी

आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करना उचित है।

उक्त नियम एक सक्षम प्रावधान है जो अदालत को प्रवेश पर त्वरित निर्णय देने और अपने प्रतिद्वंद्वी के एक पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए दावे की सीमा तक विवेकाधिकार प्रदान करता है। दावा करें "।

31. बलराज तनेजा और अन्य के मामले में फैसले में

बनाम सुनील मदान और एक अन्य (ऊपर), सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 10 और आदेश XII नियम 6 के दायरे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है

कि अदालत को लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा दिए गए तथ्य को स्वीकार करने पर अंधाधुंध कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और न ही अदालत को केवल इसलिए आंख मूंदकर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि लिखित बयान नहीं दिया गया है।

अदालत में दायर वाद में वादी द्वारा निर्धारित तथ्यों को पार करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया।

32. उपरोक्त निर्णय में, सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के दायरे पर विचार करते हुए, अधिनियम, 1976 में संशोधन करके इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः

" 21.एक और प्रावधान है जिसके तहत अदालत के लिए प्रवेश पर फैसला सुनाना संभव है। यह आदेश 12 के नियम 6 में निहित है जो निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 6. प्रवेश पर निर्णय। (1) जहाँ तथ्य स्वीकार किए जाते हैं

या तो अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में किया गया हो, न्यायालय मुकदमे के किसी भी स्तर पर, या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और पक्षों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसा आदेश दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है।

इस तरह के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जब भी उप-नियम (1) के तहत कोई निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख होगी जिस दिन निर्णय दिया गया था।

"कहा जाता है।

22. इस नियम को पुराने नियम के स्थान पर संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976। वस्तुएँ और

इस संशोधन के कारण नीचे दिए गए हैंः

" नियम 6 के तहत, जहां एक दावा स्वीकार किया जाता है, अदालत को वादी के लिए एक निर्णय दर्ज करने और स्वीकार किए गए दावे पर एक डिक्री पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। नियम का उद्देश्य एक पक्ष को कम से कम इस हद तक त्वरित निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है कि

जिसके लिए प्रतिवादी की स्वीकृति के अनुसार, वादी हकदार है। मौखिक प्रवेश को शामिल करने के लिए नियम काफी व्यापक है। यह स्पष्ट करने के लिए नियम में संशोधन किया जा रहा है कि मौखिक

प्रवेश भी नियम द्वारा कवर किए जाते हैं।

23. इस नियम के तहत, अदालत, कार्यवाही के अंतर्वर्ती चरण में, प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय पारित कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि अदालत प्रवेश पर कार्रवाई कर सके, यह दिखाना होगा कि प्रवेश स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट है।

मुक़दमे में दावे "। 33. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके

अन्यथा, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि कोई स्पष्ट और बिना शर्त कथन नहीं हैं, जैसा कि उत्तरदाताओं-वादियों द्वारा दावा किया गया है। अपीलकर्ताओं के रुख को ध्यान में रखते हुए कि समझौते के पृष्ठ 3 और 4 दिनांकित 3.5.2005 HARI स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

& एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

छेड़छाड़ की जाती है और उनके हस्ताक्षर मनगढ़ंत होते हैं, जब विशिष्ट मुद्दा पहले से ही तैयार किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों द्वारा स्पष्ट और बिना शर्त स्वीकार किए जाते हैं। केवल 7.4.2005 और 3.5.2005 पर व्यवस्था/अनुबंध में प्रवेश करने की स्वीकृति को अलग से नहीं माना जा सकता है, बिना आगे की आपत्तियों पर विचार किए।

अपीलार्थी कि समझौते के कुछ पृष्ठ मनगढ़ंत हैं। यदि अपीलार्थी यह साबित करते हैं कि समझौता मनगढ़ंत है जैसा कि दावा किया गया है, तो मुकदमे के बाद यह प्रतिवादी वादियों के दावे पर मामले की जड़ तक जाता है। इसलिए, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय अपीलार्थियों के मामले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

34. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील-वादी श्री श्याम

प्रत्यर्थी-कंपनी से संबंधित दस्तावेजों पर भरोसा करने वाले वादियों पर अपीलकर्ताओं के बचाव के संदर्भ में विचार किया जाना है। मुक़दमे में मुकदमा।

35. करम कपाही और अन्य के मामले में निर्णय में। बनाम लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अन्न। (ऊपर), इस न्यायालय के पास [2019] 6 एस. सी. आर. हैं।

सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अन्यथा" की व्याख्या की गई है और यह माना गया है कि आदेश XII नियम 6 के उक्त प्रावधान का दायरा सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 1 के प्रावधान की तुलना में व्यापक है। यह सच है कि संशोधन के बाद, आदेश XII नियम 6 के तहत नियम का दायरा बढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही आदेश XII नियम 6 में अंतःस्थापित "अन्यथा" अभिव्यक्ति पर भी नियम के ढांचे के भीतर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उससे आगे नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी मामले में, प्रवेश स्पष्ट और बिना शर्त होते हैं, क्या अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के संबंध में प्रवेश पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार करने का विषय है। आदेश XII के नियम 6 का लाभ बढ़ाने के लिए कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है।

सीपीसी।

36. उषा रेक्टिफायर कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली के मामले में निर्णय में

(ऊपर) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा भरोसा किए जाने पर, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कंपनी की ओर से दायर तुलनपत्र में की गई प्रविष्टियों को प्रवेश के रूप में माना जाना चाहिए और अपीलकर्ता नहीं जा सकता है।

इस तरह के स्वीकारों के विपरीत, लेकिन इस मामले में शुरू से ही यह अपीलार्थियों का मामला है कि तीसरा प्रतिवादी प्रत्यर्थियों-वादियों के साथ मिलीभगत में है। 37. इस मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमा 1.11.2006 पर दायर किया गया था और लिखित बयान 25.01.2007 पर दायर किया गया था और आवेदन के तहत

आदेश XII नियम 6 9.2.2007 पर दायर किया गया था। वर्ष 2010 में मुद्दे और अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए गए और मुकदमा भी शुरू किया गया। इस दृष्टि से

इस मामले में, इस स्तर पर सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, दावा किए गए प्रवेश पर मुकदमे को डिक्री करने के लिए अब विवादित आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं है। गंभीर तथ्यात्मक विवादों और मुकदमे में अपीलार्थियों के बचाव को देखते हुए, आदेश बारहवें नियम के तहत दायर आवेदन के निपटारे के लिए रोविंग जांच करने की अनुमति नहीं है।

6 सीपीसी से। जब मुकदमा पहले से ही शुरू हो चुका है, तो साक्ष्य की सराहना करके गुण-दोष के आधार पर मुकदमे में विभिन्न विवादास्पद मुद्दों और विवादों पर निष्कर्ष दर्ज करना वांछनीय है, लेकिन साथ ही इस स्तर पर मुकदमे को आदेश देने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे केवल इसी आधार पर दरकिनार किया जा सकता है।

38. इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमा बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है।

मांगी गई राहत न्यायसंगत हरी स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। & एएनआर। वी. दलजीत सिंह और ओआरएस। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

प्रत्यर्थियों की ओर से इच्छा-वादी का अनुमान केवल इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने विवादित आदेश पारित होने के बाद शेष राशि जमा कर दी है। इनकार के अभाव में भी लिखित कथन के संशोधन के लिए आवेदन, वादी की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि वे विशिष्ट प्रदर्शन की न्यायसंगत राहत का दावा करने के लिए अनुबंध करने के लिए तैयार और तैयार थे। श्री पी. एस. नरसिम्हा द्वारा दिए गए फैसले में, अनिग्लेस योहानन बनाम के मामले में विद्वान वरिष्ठ वकील। रामलथा और ओआरएस। (उपर्युक्त), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (सी) के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का लाभ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह प्रकट करना चाहिए कि उसका आचरण विशिष्ट कार्य के लिए हकदार होने के दौरान दोषरहित रहा है।

राहत मिलती है। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने आगे कहा है कि अदालत को राहत मांगने वाले व्यक्ति के आचरण के आधार पर राहत देनी है। निर्णय के पैरा 12 और 13 को निम्नानुसार पढ़ा गयाः

" 12.स्पष्टीकरण (ii) के साथ पठित धारा 16 (ग) के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का लाभ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह प्रकट करना चाहिए कि उसका आचरण विशिष्ट राहत के लिए हकदार होने के दौरान निर्दोष रहा है। यह प्रावधान एक व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाता है। न्यायालय को इस आधार पर राहत देनी है कि

राहत चाहने वाले व्यक्ति का आचरण। यदि अभिवचन प्रकट करते हैं कि वादी का आचरण उसे वाद के अवलोकन पर राहत प्राप्त करने का अधिकार देता है तो उसे राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

13. अधिनियम की धारा 16 (सी) वादी को वाद में प्रतिवाद करने और साक्ष्य द्वारा इस तथ्य को स्थापित करने के लिए अनिवार्य करती है कि वह हमेशा अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक रहा है। लगभग एक समान तथ्य स्थिति पर विचार करने पर इस न्यायालय द्वारा सूर्य नारायण उपाध्याय बनाम में यह निर्णय दिया गया था। राम रूप पांडे 1995 सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 542 ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 542] कि वादी ने अपनी याचिका की पुष्टि की थी।

इस न्यायालय का उक्त निर्णय भी इसमें अपीलार्थियों की याचिका का समर्थन करता है। 39. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शेष

शेष राशि, दिनांकित 03.05.2005 समझौते के अनुसार, उत्तरदाताओं-वादी द्वारा जमा नहीं की जाती है, और उक्त राशि किसी तीसरे पक्ष द्वारा जमा की जाती है जिसे इस मामले में कोई चिंता नहीं है। अन्य मुद्दों पर ऊपर दर्ज किए गए हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, हमारी राय है कि उक्त विवाद से निपटना आवश्यक नहीं है।

40. उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय देते हुए विवादित निर्णय पारित करने में गलती की। विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है। तदनुसार, लागत के रूप में कोई आदेश के बिना, इसे अलग रखा जाता है। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और 2017 के एफएओ (ओएस) No.268 में दिए गए 2 अगस्त, 2018 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और 2007 के I.A.No.1557 में पारित 24 जुलाई, 2017 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। नतीजतन, 2007 का उपरोक्त आई. ए. सं. 1557 खारिज हो जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

41. जैसा कि यह अनुरोध किया जाता है कि विवादित आदेश पारित होने के बाद, प्रत्यर्थियों-वादियों ने शेष राशि जमा कर दी है, वे अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ उसी के धनवापसी के हकदार हैं।

42. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष और टिप्पणियां केवल उनके द्वारा दायर आवेदन के उद्देश्य तक ही सीमित हैं। उत्तरदाता-सी. पी. सी. के आदेश बारहवें नियम 6 के तहत वादी और पक्षों की सभी दलीलें खुली छोड़ दी गई हैं और उच्च न्यायालय के लिए विभिन्न मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए खुला है जो मुकदमे में अपने गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए आते हैं। हम उच्च न्यायालय से 2006 के सी. एस. (ओ. एस.) संख्या 2046 में मुकदमे में तेजी लाने का भी अनुरोध करते हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान